



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411]
No. 411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 19, 1984/आश्विन 27, 1906
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 1984/ASVINA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1984

सा. का. नि. 728(अ).--केन्द्रीय सरकार सघ राज्य क्षेत्र (विधियाँ) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) की धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को, कर्नाटक राज्य में यथाप्रवृत्त मैसूर रेसकोर्स लाइसेंसिंग ऐक्ट, 1952 (1952 का मैसूर ऐक्ट नं. 8) को निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करती है, अर्थातः--

उपान्तरण

1. समूचे अधिनियम में,
 - (क) "मैसूर राजपत्र" शब्दों के स्थान पर जहाँ भी आता है, "दिल्ली राजपत्र" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) "राज्य" शब्द के स्थान पर जहाँ भी वह आता है, "संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली" रखा जाएगा।

2. धारा (1) की उपधारा (2) और उपधारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर किया जाता है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

3. धारा (2) में :--

(क) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

1. "सरकार" से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

(ख) खण्ड (5) का लोप किया जाएगा।

4. धारा (4) में, :

(क) उपधारा (3) के खण्ड (ख) में आने वाले "बाजीकर" अधिनियम, 1932 शब्दों और अंकों के स्थान पर "संयुक्त प्रान्त मनोरंजन तथा

बाजीकर अधिनियम, 1937, जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू है" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

(ग) उपधारा (5) में आने वाले शब्द या अनुशासन का लोप किया जाएगा।

3. धारा (7) की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

6. धारा (8) में "या अनुशासन" शब्द का लोप किया जाएगा।

7. धारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अधिनियम" के अधीन अपराधों का संज्ञान-

'महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

8. धारा (10) की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

उपबन्ध

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित मैसूर घुड़दौड़ मैदान अनुशासन अधिनियम, 1952 (1952 का मैसूर अधिनियम सं. 8)

मैसूर क्षेत्र में घुड़दौड़ के मैदानों के अनुशासन का उपबंध करने के लिए अधिनियम--

प्रस्तावना --

मैसूर क्षेत्र में घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के विनियमन, नियंत्रण और प्रबंध के अनुशासन और उससे संबंधित सभी विषयों के लिए उपबंध करना समीचीन है। अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घुड़दौड़ अनुशासन अधिनियम, 1952 है।

(2) इसका विस्तार समस्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किया जाता है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं :- इस अधिनियम में,--

(1) "सरकार" से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

2) "घुड़दौड़" से कोई ऐसी दौड़ जिसमें घोड़ा, घोड़ी या बधिया किसी घोड़े या उसके घुड़पवार पर लगाई

गई किसी शर्त या दाव या किसी पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में किसी अन्य घोड़े, घोड़ी या बधिया के साथ दौड़ा जाती है और जिनमें बीस से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों अभिप्रेत है,

(3) अनुज्ञप्ति से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।

(4) अनुज्ञप्ति धारी से वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, अभिप्रेत है।

(5) "लोप" किया गया।

(6) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(7) "दौड़ का मैदान" से ऐसा मैदान जिस पर घुड़दौड़ हो सके अभिप्रेत है।

3. बिना अनुज्ञप्ति वाले घुड़दौड़ के मैदानों पर घुड़दौड़ का निषेध :- कोई भी ऐसी घुड़दौड़ उस स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं की जाएगी जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घुड़दौड़ के लिए धी गई अनुज्ञप्ति प्रवर्तन में न हो।

4. घुड़दौड़ के लिए अनुज्ञप्ति :-

(1) किसी घुड़दौड़ स्थल का स्वामी पट्टाधारी या अधिभोगी ऐसे घुड़दौड़ स्थलों पर घुड़दौड़ के लिए या दाव लगाने/शर्त लगाने के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर या बाहर किसी अन्य घुड़दौड़ स्थल पर घुड़दौड़ कराने के लिए सरकार के पास घुड़दौड़ के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) सरकार (यदि उसकी राय में लोकहित में ऐसा अपेक्षित है) ऐसी अनुज्ञप्ति को रोक सकती है या उसे ऐसी शर्तों पर और ऐसी अधिध के लिए जो वह उचित समझे प्रदान कर सकती है।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शर्तों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जा सकते हैं, :-

(क) अनुज्ञप्ति फीस का संदाय।

(ख) ऐसे लेखकों का बनाए रखा जाना और ऐसी विवरणियों का दिया जाना जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित संयुक्त प्रांतीय मनारंजन और शर्त शुल्क नियमावली, 1937 द्वारा अपेक्षित है।

(ग) विभिन्न प्रकार के घोड़ों के लिए शर्तों के दावों की राशि।

(घ) लागों को घुड़दौड़ के शौकीन बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए उद्देश्य उठाना।

- (इ) भारतीय नस्ल के घाड़ों और भारतीय घुड़सवारों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना ।
- (च) ऐसे व्यक्तियों का जो सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं घुड़दौड़ के संचालन और प्रबंध कार्य में प्रबंधकों या सदस्यों के रूप में महयोजित या सम्मिलित करना ।
- (छ) घुड़दौड़ के संचालन और प्रबंध में अनुज्ञप्ति धारी द्वारा एकात्र की हुई राशि का उपयोग ।
- (ज) घुड़दौड़ या घुड़दौड़ के रख-रखाव से सम्बन्धित अन्य ऐसे मामलों जिनके लिए सरकार की राय में अनुज्ञप्ति में उपबंध करना आवश्यक और समीचीन है ।

(4) "लौप किया गया ।"

(5) सरकार किसी भी समय किसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का संशोधन कर सकती है या निलंबित कर सकती है या उपांतरित कर सकती है ।

(6) अनुज्ञप्ति का दिया जाना, उम्का रद्द किया जाना या उसमें किए गए उपांतरण करना दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

5. बिना अनुज्ञप्ति वाले घुड़दौड़ स्थल पर घुड़दौड़ में भाग लेने पर दण्ड जो कोई व्यक्ति ऐसे घुड़दौड़ स्थल पर जिसका अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गयी है या जिसके लिए धारा 4 के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति प्रवर्तन में नहीं है, घुड़दौड़ में भाग लेगा तो वह ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

6. बिना अनुज्ञप्ति वाले घुड़दौड़ स्थल पर घुड़दौड़ की अनुज्ञप्ति देने के लिए स्वामी आदि के लिए शास्ति : यदि किसी ऐसे घुड़दौड़ स्थल पर घुड़दौड़ आयोजित की जाती है जिसको अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गयी है या जिसके लिए दी गई अनुज्ञप्ति प्रवर्तन में नहीं है तो ऐसे घुड़दौड़ स्थल का स्वामी पट्टेधारी या अधिभोगी ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

7. अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए :- यदि कोई व्यक्ति जिसमें अनुज्ञप्ति दी गई है, अपनी अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्तों का उल्लंघन करेगा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति दी गई थी तो वह व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सरकार द्वारा की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

(2) "लौप किया गया ।"

8. आदेशों का व्यावृत्ति :- किसी अनुज्ञप्ति या उसकी ऐसी शर्तों को जिसके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी गई है,

स्वीकृति, अस्वीकृति या रद्दकरण सरकार के विवेक पर प्राधारित होगा और किसी न्यायालय में इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

9. अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान :- (1) किसी महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अथवा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान नहीं करेगा ।

10. छूट :- (1) सरकार दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण व विशेष आदेश द्वारा किसी घुड़दौड़ स्थल को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

(2) "लौप किया गया ।"

11. नियम बनाने की शक्ति :- (1) सरकार, दिल्ली राजपत्र में—अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्वागामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित शर्तों या किन्हीं नियमों की बाबत उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :-

- (i) वह प्ररूप और रीति जिसमें अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किए जाएंगे,
- (ii) ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए देय फीस,
- (iii) वह अर्ध जिसके लिए अनुज्ञप्तियां दी जाएंगी,
- (iv) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उपांतरण और रद्द करना ।

[गू.-11015/2/82-यू. टी.एल. (161)]
एच. बी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1984

G.S.R. 728(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends to the Union territory of Delhi, the Mysore Race Courses Licensing Act, 1952 (Mysore Act No. VIII of 1952), as in force in the State of Karnataka on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1 Throughout the Act,—

- (a) for the words 'Mysore Gazette' wherever they occur, the words 'Delhi Gazette' shall be substituted:

- (b) for the words 'State' wherever it occurs the words 'Union territory of Delhi' shall be substituted.
2. In section 1, for sub-section (2) and sub-section (3), the following sub-sections shall respectively be substituted, namely :—
- "(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi ;
- (3) It shall come into force on such date as the Administrator may by notification, in the Delhi Gazette, appoint."
3. In section 2,—
- (a) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :—
- '(1) "Government" means the Administrator of the Union territory of Delhi' ;
- (b) clause (5) shall be omitted.
4. In section 4,—
- (a) for the words and figures "The Betting Tax Act, 1932" occurring in clause (b) of sub-section (3), the words and figures, "United Provinces Entertainment and Betting Tax Act, 1937, as extended to the Union territory of Delhi" shall be substituted ;
- (b) sub-section (4) shall be omitted ;
- (c) in sub-section (5), the words "or permit" shall be omitted.
5. In section 7, sub-section (2) shall be omitted.
6. For section the words "or permit" shall be omitted.
7. For section 9, following shall be substituted, namely :—
- "9. Cognizance of offences under the Act—
- "No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try an offence under this Act".
8. Sub-section (2) of section 10 shall be omitted.

ANNEXURE

The Mysore Race-Courses Licensing Act, 1952 (Mysore Act No. VIII of 1952) as extended to the Union Territory of Delhi

An Act to provide for the licensing of Race-Courses in the Mysore Area.—

Preamble.—

Whereas it is expedient to make provision for the licensing regulation, control and management of horse-racing on race-course and all matters connected therewith in the Mysore Area.

It is hereby enacted as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Mysore Race-Courses Licensing Act, 1952.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act,—

- (1) "Government" means the Administrator of the Union territory of Delhi ;
- (2) "Horse-race" means any race in which any horse, mare or gelding runs, or is made to run, in competition with any other horse, mare or gelding for any price of whatsoever nature or kind, or for any bet or wager made or to be made in respect of any such horse, mare or gelding or the riders thereof, and at which more than twenty persons shall be present ;
- (3) "licence" means a licence granted under section 4 of this Act ;
- (4) "licensee" means a person licensed under section 4 of this Act ;
- (5) Omitted.
- (6) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (7) "race-course" means any ground on which a horse-race can be held.

3. Prohibition of horse-racing on unlicensed race-courses.—No horse-race shall be held save on a race-course for which a licence for horse-racing granted in accordance with the provisions of this Act, is in force.

4. Licences for horse-racing.—(1) The owner, lessee or occupier of any race-course may apply to the Government for horse-racing on such race-course or for arranging for wagering or betting in such race-course on a horse, race run or some other race-course either within the Union territory of Delhi or Outside the Union territory of Delhi.

- (2) The Government may (if in its opinion public interest so requires) withhold such licence or grant it subject to such conditions and for such period as they may think fit
- (3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such conditions may provide for—
- (a) the payment of a licence fee ;
- (b) the maintenance of such accounts and furnishing of such returns as are required by the United Provinces Entertainment and Betting Tax Act, 1937 as extended to the Union territory of Delhi ;
- (c) the amount of stakes which may be allotted for different kinds of horses ;
- (d) the measures to be taken for the training of persons to become Jockeys ;
- (e) the measures to be taken to encourage Indian bred horses and Indian-Jockeys ;

- (f) the inclusion or association of such persons as the Government may nominate as Stewards or members in the conduct and management of horse-racing;
- (g) the utilisation of the amount collected by the licensee in the conduct and management of horse-racing;
- (h) such other matters connected with horse-racing and the maintenance of the race-course for which in the opinion of Government it is necessary or expedient to make provision in the licence.
- (4) Omitted.
- (5) The Government may, at any time, suspend, cancel, or modify any of the conditions specified in, any licence.
- (6) The grant, cancellation or modification of any licence shall be published in the Delhi Gazette.

5. Penalty for taking part in horse-race on unlicensed race-course.—Whoever takes part in any horse race on any race-course for which no licence is granted or for which a licence granted in accordance with the provisions of section 4 is not in force, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

6. Penalty for owner, etc. allowing racing on unlicensed race-course.—If any horse-race is held on any race-course for which a licence has not been granted or for which a licence granted is not in force, any person being the owner, lessee or occupier of such race-course, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

7. (1) Penalty for contravening conditions of licence.—If any person to whom a licence has been granted contravenes any of the conditions subject to which such licence was granted, such person shall, without prejudice to any action that may be taken

by the Government under sub-section (5) of section 4, be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(2) Omitted.

8. Saving of Orders.—The granting, refusing or cancellation of a licence and the conditions subject to which a licence is granted shall be within the discretion of the Government and shall not be liable to be called in question in any court.

9. Cognizance of offences under the Act.—(1) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try an offence under this Act.

10. Exemption.—(1) The Government may, by general or special order published in the Delhi Gazette, exempt any horse-race from the operation of this Act.

(2) Omitted.

11. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Delhi Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (i) the form and manner in which applications for licences are to be made;
- (ii) the fees payable for such licences;
- (iii) the period for which licences are to be granted;
- (iv) the renewal, modification and cancellation of licences.

[U-11015/2/82-UTI](161)]
H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.